# LATE B.R.KASHYAP MEMORIAL GOVT. MEDICAL COLLEGE DIMRAPAL, JAGDALPUR (C.G.)

# **MBBS ADMISSION YEAR 2022**

S.N.	Document List
1	Allotment Letter (Original Copy)
2	NEET Admit Card (Original Copy)
3	NEET Score Card & Rank Letter (Original Copy)
4	10th Mark Sheet
5	10th Pass Certificate (if available)
6	12th Mark Sheet
7	12th Pass Certificate (if available)
8	Domicile Certificate (For State Quota Admission)
9	Permanent Caste Certificate
10	Income Certificate for OBC Candidate (Last 03 Years)
11	EWS Certificate (if applicable)
12	Disability Certificate in described format (for PH Candidate)
13	Freedam Fighter Certificate/Sainik Certificate (if applicable)
14	Transfer Certificate (School/college/leaving certificate)
15	Character Certificate
16	Migration Certificate (Affidavit if not available)
17	Gap Certificate
18	Aadhar Card (Xerox Copy)
19	Medical Fitness
20	Bond for Rural Service (250 Rs Stamp)
21	Bond for Discontinuation (250 Rs Stamp)
22	Affidavit regarding Anti Ragging (Parents) (20 Rs Stamp)
23	Affidavit regarding Anti Ragging (Students) (20 Rs Stamp)
24	College Affidavit (50 Rs Stamp)
25	Attendance Affidavit (20 Rs Stamp)
26	Photographs- 6 copies
27	Four sets of Photocopy (All Certificate & Documents)
28	scanned copy (All Certificate & Documents)
29	(P.S These original documents will be preserved in the college office till completion of of course. It is adviseble to submit document on liminated file folder (16-20 Leaves)

Total 50000 Rs Demand Draft -(40000 DD Name-Autonomous Society late BRKMGMC Jagdalpur ) (10000 DD Name - Dean Late BRKMGMC Jagdalpur)

Note :- – Domicile Certificate /Caste Certificate /EWS Certificate/Disability Certificate must be made before last date of counseling registration. (UG State Quota - 25 Oct 2022 & UG AIQ - 18 Oct 2022)


अनुसूची - पांच (क)

(250/– के नानज्युडिशियल स्टाम्प – पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए) (छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा राज्य– शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्धत पत्र (बाण्ड्) का प्रारूप)

- मैं.....छत्तीसगढ के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ । मेरा चयन एमबीबीएस पाठ्यक्रम हेतु सामान्य/आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत हुआ है ।
- 3. यह कि वर्ष ...... की काउंसलिंग के पूर्व मैंने छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की अधिसूचना क्रमांक.....रायपुर दिनांक ...... छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश नियमों को मढ़कर भली भॉति समझ लिया है। उपरोक्त अधिसूचना के कंडिका ...... जिसमें राज्य शासन के अधीन सेवा करने हेतु बन्ध पत्र निष्पादित करने संबंधित जानकारियाँ दी गई हैं, जिसे मैंने भली–भॉति समझ लिया है एवं मैं उक्त नियम की सभी बिन्दुओं से सहमत हूँ।
- 4. मैं एतद् द्वारा बन्ध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करता / करती हूँ, कि मैं एमबीबीएस पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने के उपरान्त राज्य शासन के, अधीन दो वर्षों की कालावधि तक अनिवार्य रूप से कार्य करूंगा / करूंगी।
- 5. यदि अनिवार्य शासकीय सेवा अवधि के दौरान मेरा चयन चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु हो जाता है तो अनिवार्य शासकीय सेवा की शेष अवधि मेरे द्वारा चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने पश्चात् किया जायेगा।
- - जब तक पूरी राशि की वसूली नहीं हो जाती तब तक मुझे अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जायेगा।

358 (24)

- 8. अधिष्ठाता के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चा्त् मैं संचालक चिकित्सा शिक्षा को उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा / करूंगी जिसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम डिग्री प्रदान की जावेगी व राज्य मेडिकल बोर्ड में स्नातक योग्यता का स्थायी पंजीयन मुझे प्राप्त अंतिम डिग्री के आधार पर ही किया जावेगा ।
- 9. एमबीबीएस पाठ्यक्रम के सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने की सूचना विश्वविद्यालय से प्राप्ति के छः माह के भीतर यदि आयुक्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नियुक्ति आदेश जारी नहीं करते है तो यह बन्धपत्र स्वमेव निरस्त समझा जावेगा।
- 10. यह कि मुझे ज्ञात है, कि विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।



हस्ताक्षर

प्रतिभूतिकर्ता

358 (26)

अनुसूची-पांच (ख)

### (सभी प्रवेशित अभ्यिथियों हेतु)

(250/- के नानज्युोडशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जाए)

छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप

मेरा पुत्र / पुत्री ...... आत्मज / आत्मजा श्री..... .....में स्नातक पाठ्यक्रम (एमबीबीएस) में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थी हूं। मैंने छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक 1. ...... दिनांक ...... 'छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा, स्नातक प्रवेश नियम – ...... एवं "निर्देशिका" में निहित प्रावधानों को भली-भांति पढ़कर समझ लिया है। मेरा पुत्र/पुत्री राज्य कोटे की सामान्य/आरक्षित श्रेणी का छात्र/छात्रा है। 2. में एतद द्वारा यह शपथ पत्र निम्न शर्तो पर निष्पादित करता हूं कि :--3. (क) मेरा पुत्र / पुत्री स्नातक पाठ्यक्रम सफलता पूर्वक पूर्ण करने के पश्चात्, शासन द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में दो वर्षों की कालावधि तक चिकित्सा अधिकारी के रूप में शासकीय स्वास्थ्य केन्द्र / संस्था में कार्य करेगा / करेगी। (ख) मेरा पुत्र/पुत्री के द्वारा उपरोक्त अवधि तक ग्रामीण सेवा करने का प्रमाण पत्र जिसे आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें के द्वारा प्रदान किया जायेगा के प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उसे स्नातक की उपाधि की प्राप्ति हेतु संस्था प्रमुख द्वारा अनापत्ति प्रदान की जायेगी। मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा ग्रामीण सेवापूर्ण न करने की दशा में मेरे पुत्र/पुत्री की स्नातक (ग) उपाधि व मूल अभिलेख राजसात किये जा सकेंगे। यदि मेरे पुत्र/पुत्री के द्वारा द्वितीय काउंसिलिंग की प्रवेश की अंतिम तिथि उपरान्त शिक्षण (घ) सत्र ...... हेतू एमबीबीएस पाठ्यक्रम की प्रवेशित सीट का परित्याग किया जाता है तो, मेरे द्वारा अनारक्षित श्रेणी हेतु रू. 25 लाख अथवा आरक्षित्र श्रेणी हेतु रू. 20 लाख तथा छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण राशि (यदि कोई हो तो) शासन को देय होगी।

पता			• • • •
फोन नं अभिभावक	अभिभावक का फोटो	प्रतिभूतिकर्ता का फोटो	हस्ताक्षर
	अभिभावक	प्रतिभूतिकर्ता	

# प्रतिभूतिकर्ता

मैंपुत्र / पुत्र उपरोक्तानुसार शपथ पत्र के उल्लंघन की जायेगी।	त्री / पत्नी श्री दशा में शपथ	पत्र में उल्लेखित न	निवासी राशि मेरे द्वारा प्रदा	य की
गवाह के हस्ताक्षर नाम एवं पता सहित : –				
1	गवाह नं.	गवाह नं.		
हस्ताक्षर	01 का फोटो	02 का फोटो		
2				
प्रतिभूतिकर्ता	1. गवाह	2. गवाह		
			नामः	
			पता :	
			•	
같은 <mark></mark>				

١

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

अनुतग्नक-I

# छात्र का आरवासन

<ol> <li>मैं (प्रवेश/प भी/भीमती/सुम्री संस्थानों, में 2009, के जोखिम कहलायेंगे) तथा इन विनियमों में</li> <li>मैंने, विरोष रूप से इन विनियमों सम्मिलिति हैं।</li> <li>मैंने विनियमों की घारा 7 एवं 9. तरह से सचेत हूँ जो मेरे विरूद को सक्रिय अथवा छिपे तौर से</li> <li>मैं एतद्दारा सत्यनिष्ठ रूप से प्र (क) मैं ऐसे किसी व्यवहार अध रूप में माना जा सकता है।</li> <li>(ख) मैं ऐसे किसी आचरण अध में शामिल होऊँगा जिस कृत्य</li> <li>मैं एतद्दारा प्रमाणित करता/ पूर्वाग्रह के मैं दण्ड के लिए त किसी चालू दण्डात्मक अथवा ह मड़काने में अथवा इसमें भाग है-और मैं यह भी प्रमाणित व</li> </ol>	माविष्ट प्रावधानों की घारा 3 को ध्य त को भी विशेष रूप द लागू की जा सक प्रोत्साहित करने अप प्रात्साहित करने अप प्राणित करता/कर यवा कृत्य में संलिप्त यवा कृत्य में संलिप्त वरती हूँ कि यदि न करती हूँ कि यदि न उस्त देश के किसी लेने के मामले में करता/करती हैं कि	को व्यानपूर्वक पढ त से पढ़ा है तथा मै तो है यदि मैं रैगिंग यवा इस विषय में ष ती हूँ एवं आरवासन त नहीं होऊँगा/होज म में न तो माग है ाम में न तो माग है वारा 3 के अंतर्गत कार्रवाई के लिए ज कार्रवाई के लिए ज की संस्थान ने, मुझे दोषी पाने के लिए यदि की गई यह	कर पूरी तरह से सम म मुझे इस बात का प उस दण्डात्मक एवं को बढ़ावा देने के लि इयन्त्र करने का दोषी देता/देती हूँ कि हँगी जिसे इन विनियम रंगिंग के रूप में मान हूँ तो इन विनियमों क तरदायी हूँ जो कि अ द की जा सकती है। रंगिंग के षड्यन्त्र में	ाझ ालया ठा संज्ञान है कि प्रशासनिक का तए दोषी पाया पाया जाता र मों की घारा 3 के पड्यन्त्र में 3 ने पड्यन्त्र में 3 ने घारा 9.1 क न्य किसी आप अथवा इसे प्र	रेगिंग में कौन सी बातें रिवाई के विषय में पूरी जाता हूँ अंथवा रैगिंग है। के अंतर्गत रैगिंग के अथवा उसके प्रोत्साहन के अनुसार इनसे बिना पराधिक मामले के प्रति प्रोत्साहित करने, इसको प्रवेश से बाधित किया
ह-आर में यह ना प्रमाणित न मेरा प्रवेश निरस्त करने का ज घोषित किया गया	त्तरदायित्य गुभ भर	CL.D.I			
		*	•		शपथकर्ता के हस्तासर नाम
•		· · ·	•	•	नाम
*		•		· ·	•
•	•	सत्यापन			
सत्यापित किया जाता है कि यह इसमें कथित कोई भी बात ना तो	া চিদাই গই আখ শ	1 8 014414 40	14 41	চা কাহ শা ব	પ્રશ અસલ્ય ગણ છ તથા
इसने कायत कर्य ना साम मान	. दिन	माठ			
•					रापथकर्ता के हस्तासर
•					रापपरेश के हरशावर नामः
•		• •		,	-11-1+
		•		· ·	•

Scanned with CamScanner

2

1

अनुलग्नक-11


### माता-पिता/अभिमायक द्वारा दी गई प्रतिबद्धता

- १. भौ/भोमती/सुभी \_\_\_\_\_ (माता-पिता/अभिमावक का पूरा माम छात्र का पूरा नाम, उसके प्रवेश/पंजीकरण/मामांकन संख्या सहित) के पिता-माता/अभिमावक, जिसके छात्र को \_\_\_\_\_ (संस्थान का नाम) में प्रवेश दिया गया है, इसने उच्च शैक्षिक संस्थानों, 2009, में रैगिंग के जोखिम पर नियन्त्रण लगाने से संबद यूजीसी विनियमों (जो आगे से विनियम के माम से कहलायेंगे) को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को पूरी तरह समझ लिया है।
- 2. मैंने, विशिष्ट रूप से इन विनियमों का अपलोकन किया है तथा मुझे इस ब्रात की जानकारी है कि रैगिंग में क्या बात शामिल है।
- 3. मैंने विनियमों की घारा 7 एवं 9.1 का भी विरोध रूप से अध्ययन किया है तथा मैं पूरी तरह से जागरूक हूँ कि यदि मेरी संतान रैपिंग की अधवा रैगिंग में सहायक होने की सक्रिय अथवा छिपे तौर से दोषी पाया/पाई जाती है अथवा रैगिंग को बढ़ावा देने के बडयन्त्र का एक हिस्सा होता/होती है तो उस रियति में उसके विरूद जिस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई का वह भागीदार होगा/होगी, वह मेरे संज्ञान में है।
- 4. मैं एतद्दारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आखासन देता/देती हूँ कि......

(क) मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होगी जिसे विनियमों की घारा 3 के अंतर्गत रैगिंग माना गया है।

(ख) मेरी संतान जान बुझकर अथवा भूलचूक से ऐसे किसी कृत्य में न तो संलिप्त होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगी ना ही उसे प्रोत्साहित करेगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।

- 5. एतद्द्वारा में यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि भेरी संतान रैगिंग की दोष्ठी प्राई जाती/पाया जाता है तो यह इन विनियमों को घारा 21 के अनुसार दण्ड की मागीदार होगा/होगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के बिना होगा-तथा जो दण्ड मेरी संतान के विरूद्ध किसी भी दण्ड संबंधी कानून के अथवा वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अनुसार होगा।
- 6. एतद्द्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान इस देश में व्रिद्यमान किसी भी संस्थान द्वारा रैगिंग की दोषी अथवा उत्तमें सहायक होने कि अथवा षडयन्त्र का एक हिस्से के रूप से दोष्ठी होने के कारण अथवा उत्ते प्रोत्साहित करने के दोष के कारण निष्कासित नहीं हुई है/हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता। हूँ कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।



#### सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह चचनबद्धता मेरे संज्ञान में सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई है और ना ही अयर्थाय कही गई है।

सत्यापित (स्थान)

रापधकर्ता के हस्तावर

नामः

3

Scanned with CamScanner

20 रू. के स्टाम्प में

### शपथ पत्र

2) यह कि महाविद्यालय में संचालित समस्त विषयों में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषय में विश्वविद्यालयीन नियमानुसार कक्षाओं में उपस्थिति क्रमशः 75 प्रतिशत एवं 80 प्रतिशत होना अनिवार्य है ।

3) यदि मेरे पुत्र / पुत्री के द्वारा महाविद्यालय के विभिन्न विषयों के कक्षाओं में उपस्थिति मानक से कम होती है एवं यदि वह विश्वविद्यालीयन परीक्षा के लिए अपात्र किए जाते है, तो इसकी समस्त जवाबदारी अभिभावक एवं विद्यार्थी की होगी।

अभिभावक का नाम एवं मोबाईल नम्बर ..... अभिभावक का हस्ताक्षर :– विद्यार्थी का नाम एवं मोबाईल नम्बर ..... विद्यार्थी का हस्ताक्षर :– दिनांक :–

# 50 RUPESS INDIA NON JUDICIAL STAMP AFFIDAVIT

I S/O ,D/O	AgedYears	/ Male/Female
------------	-----------	---------------

R/o Village- ..... Dist- .....

Solemnly affirms and state an oath as under :-

- 1. The certificates and document which I am submitting at the time of admission in this institute is true and correct.
- 2. I would not involve in any ragging activity in any manner & obey all rules and regulation of institute.
- I would adhere of CG Medical & Dental Degree course Admission rule (F21-02/2018/9/55-4 Date 25/05/2018) of C.G. Govt. Medical Education Department, Mantralay Mahanadi Bhawan New Raipur & Regulation on Medical Education (Amendment) 2019, No MCI-34(41)/2019-Med./161726 New Delhi, Date 04 November 2019.
- 4. That in case, the Declaration/Certificate & Document given by me or any part of it is found to be false, then my admission will be cancelled automatically without any further information by Dean/DME/Govt. of Chhattisgarh and fees being forfeited.

# VERIFICATION

I S/0	D/0	Aged	Years/ Male/Female
R/o Village-	. Teh	Dist	State,

Do hereby declare on oath that the contents of pare No. 1,2,3,4, are and correct to the best of my knowledge and belief. Verified at Jagdalpur and signed.

# Witness

1. 2.

Deponent

### PHYSICAL FITNESS CERTIFICATE FOR MBBS ADMISSION 2022

NEET 2021

Signature Physician (with Stamp)	Signature Ophthalmologist (with Stamp)	Signature Surgeon (with Stamp)
Fit/Unfit/Temporary I	Unfit	
His/Her age accordin appearance y	ng to his/her/own statement ear. He/she has been fully vaccina	years and by ated (Signature Parents)
	Left Eye	
Special Organs,		
Sugar		
Albumen		
Sp Gravity		
Reaction		
o. Gen to unitery Syste	em	¥
	ntem	
disqualification for adm	nission in the Late BRKM Govt. Me	dical College, Jagdalpur.
I/We do not consider the	his	
except		
Candidate has been ex constitutional weaknes	mined by me/us and cannot disco s or bodily infirmity	over that he/she has disease
,	Shri Admission in the Late BRKN	1 Govt. Medical College,
I/We do hereby cert S/o, D/o W/e	ify that shri/Ku./Smt Shri	

Signature Gynecologist (For Female Candidate) (with Stamp)